संख्या- 44/1431/बयालिस-2015-210(विविध)/2012

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2015**

विषय- जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 762/नि0 रामपुर स्पो0काम्प0/2013-14, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्पोर्टस काम्पलेक्स के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं भूमि क्रय हेतु शासनादेश संख्या- 22/बयालिस-2012-210(विविध)/2012, दिनांक 22 मार्च, 2013 द्वारा रू0 316.00 लाख, शासनादेश संख्या- 894/बयालिस-2013-210(विविध)/2012, दिनांक 10.04.2013 द्वारा रू0 523.88 लाख, शासनादेश संख्या- 622/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा रू0 476.12 लाख, शासनादेश संख्या-655/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 11.03.2014 द्वारा रू0 434.28 लाख, शासनादेश संख्या-1054/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 द्वारा रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या- 1702/बयालिस-2014-210(विविध)/ 2012, दिनांक 06.08.2014 द्वारा रू0 200.00 लाख, शासनादेश संख्या- 2268/बयालिस-2014-210 (विविध)/2012, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा रू0 248.75 लाख एवं शासनादेश संख्या- 2929/ बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 08 जनवरी, 2015 द्वारा रू0 108.47 लाख एवं शासनादेश संख्या- 874/बयालिस-2015-210(विविध)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा रू0 68.83 लाख अर्थात उक्त काम्पलेक्स के भूमि क्रय एवं बाउण्ड्रीवाल की पुनरीक्षित लागत रू0 2476.33 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त की जा चुकी है। जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स निर्माण कार्य के प्रथम फेज हेतु ई0एफ0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3880.04 लाख (रू0 अडतिस करोड अस्सी लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वर्ष-2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि में से रू0 1552.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ बावन लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

.....2

http://srisanadesh.up.nic.in

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1552.00 करोड (रू0 पन्द्रह करोड़ बावन लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(3)- प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकर अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5)- प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, लोड वियरिंग के स्थान पर फेम्ड स्ट्रक्टर पर निर्माण कराया जाना, सामान्य फाउन्डेशन के स्थान पर पाइल/राफ्ट फाण्डेशन पर निर्माण कराया जाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाईन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(7)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(9)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत् न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तवित है।

(10)- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(11)- कार्य की विशिष्टियां मानक गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जाय।

.....3

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-49-जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 814/दस-2015, दिनांक 10 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 44/1431(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, रामपुर।
5- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस जल निगम लखनऊ।
6- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, मुरादाबाद।
7- क्रीड़ाधिकारी, रामपुर।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
10- नियोजन अनुभाग- 4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in